संख्याः 596 / VII-II-09 / 70–उद्योग / 2006

प्रेषक,

हरिओम,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग
उद्योग निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 27 मार्च, 2009

विषयः **वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु केन्द्र पोषित "लघु उद्योगों की गणना" योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5717 / उ0नि0(दो)–27 / गणना योजना / 2008–09 दिनांक 18–3–2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग निदेशालय के आयोजनागत पक्ष अन्तर्गत केन्द्र पोषित "लघु उद्योगों की गणना" योजनान्तर्गत कुल **रू0 1.42 लाख (रू0 एक लाख बयालीस हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि कृपया विभाग को उनकी मॉग के अनुरूप तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल / वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2009 से पूर्व कर लिया जाय। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01–लघु उद्योगों की गणना

BUDGET G O 2008 (NON PLAN) 44

योजना(100%के0स0) 01–वेतन मद के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 के कालम–5 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 715/XXVII(2)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 596/VII-II-09/70–उद्योग/2006 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15

वर्ष 2008–09 हेतु आयोजनागत से आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग

अनुदान संख्या – 23
प्रशासनिक विभाग–औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
नियंत्रक अधिकारी–निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून ।

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्याधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा प्राविधान	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 4 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00–आयोजनागत 102–लघु उद्योग 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना– 3232 02–प्रधानमंत्री रोजगार योजना (100% के0स0) 20–सहायक अनुदान/अंशदान	–	–	3232(क)	2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00–आयोजनागत 102–लघु उद्योग 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 01–लघु उद्योगों की गणना योजना (100% के0स0) (ख) 01–वेतन मद– 142	772	3090	(क) आवश्यकता न होने के कारण । (ख) बजट प्राविधान कम होने के कारण
योग– 3232	–	–	3232	142	772	3090	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बज. मैनुअल के प्रस्तर 151–156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

(एन0के0जोशी)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त विभाग
संख्या 715/XXVII(2)/2008 दिनांक 27.03.2009

(टी0एन0सिंह) 26/3
अपर सचिव,वित्त।

सेवा में

महालेखाकार नियर स्टेट बैंक, इन्द्रानगर देहरादून।

संख्या 596/VII-II-09/24–उद्योग/08 दिनांक 27.3.2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक उद्योग,उद्योग निदेशालय देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2
4– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(एन0के0जोशी)
अपर सचिव।